



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श10)

(सं0 पटना 878) पटना, वृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2017

एस0 ओ0 175, दिनांक 21 सितम्बर 2017— बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार माल एवं सेवा कर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए बिहार अपीलीय प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे यथा:

- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के प्रधान आयुक्त, बोर्ड द्वारा यथा नामित, और
- आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3533)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस० ओ० 176, एस० ओ० 175, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3533)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

S.O 175, dated 21st September 2017— In exercise of the powers conferred by section 99 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar hereby constitutes the Bihar Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Services Tax for hearing appeals against the Advance ruling pronounced by the Advance Ruling Authority, consisting of -

- (i) the Chief Commissioner of Central Tax as designated by the Board; and
- (ii) the Commissioner of Commercial Taxes Department, Bihar, Patna.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-3533)]

By order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)878-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>